मार्ग दर्शिका

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4थी मंजिल, सोन भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना–800 001
दूरभाष–2226099, 2234579, फैक्स–0612–2226099

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस राज्य के सभी जातियों/वर्गों के विकलांग व्यक्तियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वरोजगार एवं आर्थिक विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन

लक्ष्य एवं उद्देश्य –

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा राज्य के निःशक्त जनों को (विकलांग व्यक्तियों को) सम्मानपूर्वक जिन्दगी जीने के लिये शिक्षा व स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी बनाया गया है। इन ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के दिशा–निर्देशन में संचालन किया जा रहा है।

(1) मुख्यमंत्री निःशक्त जन शिक्षा ऋण योजना –

राज्य के वैसे विकलांग विद्यार्थी जो भारत सरकार, राज्य सरकार, यू.जी.सी. (U.G.C.), एआई.सी.टी.ई. (A.I.C.T.E.), आई.सी.एम.आर. (I.C.M.R.) द्वारा अनुमोदित / मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री, डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रमों या समकक्ष मान्यताप्राप्त अन्य तकनीकी / व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं को यह ऋण दिया जायेगा। स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान निगम द्वारा सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जायेगा।

ऋण का उपयोग –

शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं ट्यूशन शुल्क, पुस्तकों, स्टेशनरी एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अन्य आवश्यक वस्तुएं, परीक्षा शुल्क, छात्रावास आदि

शामिल होगा।

देय राशि –

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रुपये होगी जिसका वार्षिक साधारण ब्याज दर 4 प्रतिशत होगा। इस योजना के तहत 4.00 (चार लाख) रुपये तक के ऋण हेतु प्रतिभूति तथा गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। 4.00 (चार लाख) रुपये से उपर 5.00 (पांच लाख) रुपये तक के लिए प्रतिभूति एवं गारंटर की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा ऋण पढ़ाई पूरी होने के पश्चात एक वर्ष की अवधि अथवा रोजगार मिलने की तिथि से छः माह जो भी पहले हो, उसी समय से ऋण की वापसी की जायेगी। ऋण की वापसी भुगतान बराबर–बराबर मासिक किश्तों में पांच वर्षों की अवधि में देय होगी। इसमें लाभार्थी चाहे तो निर्धारित अवधि के पूर्व भी अपनी सुविधानुसार ऋण वापसी कर सकते हैं।

पात्रता–

1) बिहार के निवासी हों (प्रमाण–पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।

2) वैसे विकलांग व्यक्ति जो कम से कम 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता से ग्रसित हो (असैनिक शल्य चिकित्सक की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित फोटो सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र)।

3) यह ऋण उन्हीं विकलांग विद्यार्थियों को दिया जायेगा जो किसी राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान का डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष कोर्स की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं।

4) आयु 18 से 30 वर्ष के बीच हो।

शिक्षा ऋण वितरण की प्रक्रिया–

★ मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण के लिये लाभार्थियों को सीध निगम मुख्यालय में प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के नाम से आवेदन करना होगा। साथ में निगम द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार उन्हें अपने शिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण–पत्र भी शिक्षा ऋण आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी का चयन निगम द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक मापदंडों/जाँच प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् किया जायेगा। इस मामले में निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

★ शिक्षा ऋण के मामले में विद्यार्थी को तभी ऋण राशि स्वीकृत की

जायेगी जब उनका दाखिला/नामांकन उक्त कोर्स में हो जाय अथवा इसके लिये उन्हें चयनित कर लिया गया हो। आवेदक जिस शिक्षण संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहें हैं उन्हें उक्त संस्थान से निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वास्तविक प्रमाण–पत्र bonafide certificate आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

★ शिक्षा ऋण के मामले में ऋण स्वीकृति होने के पूर्व लाभार्थी को निगम मुख्यालय में आकर निर्धारित ऋण अनुबंध की प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा ऋण अनुबंध से सम्बन्धित सभी व्यय भार लाभार्थी को स्वंय वहन करना होगा।

★ लाभार्थियों के चयन में विभाग द्वारा निर्देशित आरक्षण सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

★ लाभार्थियों के चयने में वी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार ऋण योजना –

राज्य के निःशक्त जनों के कल्याण के लिए एक अति महत्वाकांक्षी स्वरोजगार ऋण योजना शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत निम्नांकित उद्यम/व्यावसाय हेतु ऋण लिया जा सकता है। (क) लघु उद्यम / लघु व्यवसाय में स्व–नियोजन (ख) विकलांग उद्यमियों को सहायता (उत्पादन एवं उत्पाद क्षेत्र में) (ग) कृषि कार्य के क्षेत्र में (घ) विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक साधन के निर्माण के लिए (घ) कारीगरी एवं उद्यमी विकास कार्य के लिए यह ऋण लिया जा सकता है। ***इस ऋण के वितरण में तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त निःशक्त जनों को प्राथमिकता दिया जायेगा, ताकि वे सफलता पूर्वक अपने व्यावसाय का संचालन कर सकें।***

देय राशि –

इस ऋण योजना में प्रति लाभार्थी का अधिकतम ऋण सीमा 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रुपये) तक होगी। स्वरोजगार ऋण वापसीके लिए ऋण स्वीकृति के एक वर्ष उपरान्त अथवा रोजगार प्रारंभ करने की तिथि से छः माह की अवधि, जो पहले हो, उस तिथि से ऋण की वापसी प्रारंभ की जायेगी। इस ऋण की वापसी लाभार्थी को 5 वर्ष में बराबर मासिक किश्तों में सूद सहित करनी होगी। इसका वार्षिक सूद दर पांच

प्रतिशत होगी। लाभार्थी यदि चाहे तो निर्धारित अवधि के पूर्व भी ऋण की वापसी अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं।

पात्रता–

1) बिहार के निवासी हों (प्रमाण–पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।

2) वैसे विकलांग व्यक्ति जो कम से कम 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता से ग्रसित हो (असैनिक शल्य चिकित्सक की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित फोटो सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र)।

3) आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

4) लाभार्थी सामान्यतः उसी जिले का निवासी हो, जहाँ से उन्हें ऋण लिया जाना है।

5) लाभार्थी को योजना विशेष के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान हो जो योजना वह लेना चाहते हैं।

6) लाभार्थी के पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र होने पर ऋण पाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

लाभार्थियों का प्रशिक्षण –

योजनाओं के सफल संचालन हेतु चयनित लाभार्थियों को निगम की ओर से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

लाभार्थियों को योजनाओं के चयन, योजनाओं के तैयार करने में भी निगम मुख्यालय सहायता कर सकती है।

लाभार्थियों का चयन –

★ मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना हेतु लाभार्थियों का चयन, योजना के कार्यान्वयन, ऋण वसूली, अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जिला में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(1) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग – अध्यक्ष
(2) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (प्रतिनिधि) – सदस्य
(3) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का नोडल पदाधिकारी – सदस्य सचिव

(4) भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा के
नोडल पदाधिकारी – सदस्य
(5) ख्यातिप्राप्त स्वयंसेवी संस्था के संचालक (एक)
(जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत) – सदस्य
(6) राष्ट्रीयकृत बैंक के एक प्रतिनिधि – सदस्य
(7) अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि
(जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत) – सदस्य
(8) बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास
निगम के एक पदाधिकारी – सदस्य

★ इस ऋण योजनान्तर्गत अभिलेख संधारण की कार्रवाई पूरी करने की जवाबदेही सम्बन्धित जिले के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा की होगी।

★ सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् आवेदन पत्रों को सूची के साथ निगम मुख्यालय को भेज देंगे।

★ लाभार्थियों के चयन में विभाग द्वारा निर्देशित आरक्षण सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

★ लाभार्थियों के चयन में बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

★ स्वरोजगार ऋण स्वीकृति मामले में किसी व्यावसाय में अनुभव प्राप्त आवेदक जिनके पास कोई प्रमाण–पत्र हों उन्हें चयन में विशेष रूप से प्राथमिकता दी जायेगी।

ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया –

★ जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन एवं पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा स्वीकृति के बाद स्वीकृति पत्र (विहित प्रपत्र में) तीन प्रतियों में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा लाभार्थियों को निर्गत किया जायेगा।

★ तीनों स्वीकृति पत्र पर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर एवं सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जायेगा, जिसकी एक प्रति लाभार्थी, दूसरी प्रति सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं तीसरी प्रति राज्य पिछड़ा वर्ग निगम को भेजा जायेगा।

★ ऋण सम्बन्धी एकरारनामा के समय लाभार्थी को किसी गारंटर (सरकारी या अर्द्ध–सरकारी सेवा) से हस्ताक्षरित गारंटी पत्र समर्पित करना

होगा। अगर लाभार्थी द्वारा कोई गारंटर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो लाभार्थी को अपना सम्पत्ति बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पक्ष में बंधक रखना होगा। ऐसी सम्पत्ति सभी प्रकार ऋण भार से मुक्त होना चाहिए एवं प्राप्त ऋण की राशि से उस सम्पत्ति का मूल्य कम नहीं होना चाहिए। अथवा,

★ गारंटी के रूप में कोलैटरल (Co-lateral) सिक्यूरिटी यथा एन.एस.सी. / पिक्स्ड डिपोजिट / बीमा पॉलिसी इत्यादि को निगम के नाम बंधेज करना होगा।

★ स्वीकृत ऋण का भुगतान रेखांकित चेक (Account Payee)/डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा लाभार्थी को किया जायेगा। लाभार्थी को किसी राष्ट्रीय बैंक में बचत खाता खोलना होगा।

★ लाभार्थी को स्वीकृत ऋण योजना का बीमा निगम के दिशा–निर्देश के अनुरूप कराना होगा।

★ लाभार्थी को उस समय तक संचालित योजना एवं उसके चल एवं अचल सम्पत्ति बेचने या उपहार में देने की छूट नहीं होगा जबतक कि सूद सहित ऋण की पूरी राशि नहीं लौटा दी गयी हो।

★ इसके अतिरिक्त ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋण योजना से सम्बन्धित चल/अचल सम्पत्ति को निगम कार्यालय से प्राप्त विहित प्रपत्र में लाभार्थी को गिरवी (hypothecate) रखना पड़ेगा।

निगम की ओर से निगम के प्रबन्ध निदेशक ऋण स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लाभार्थियों को एक मुश्त चेक बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिला सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा के नाम से विमुक्त कर देंगे।

संबंधित जिला सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निगम के नाम से जिला स्तर पर एक खाता खोलेंगे। तदोपरान्त स्वीकृत सूची के अनुसार लाभार्थीवार अलग–अलग रेखांकित चेक द्वारा ऋण राशि का भुगतान लाभार्थी के खाता के द्वारा किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना खाता खोले किसी भी लाभार्थी को भुगतान नहीं किया जायेगा।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा योजना एवं मुख्यमंत्र निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण की अदायगी –

★ शिक्षा ऋण वापसी के लिए अध्ययन समाप्त होने के बाद एक वर्ष की अवधि अथवा रोजगार मिलने की तिथि से छः माह जो भी पहले हो, उसी समय समय से ऋण की वापसी की जानी है। ऋण की वापसी भुगतान

बराबर–बराबर मासिक किश्तों में पांच वर्षों की अवधि में देय होगी। ऋण अदायगी शुरू होने के पहले की अवधि के लिए अभिभावक/पिता को ऋण के उपर देय ब्याज का भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

★ स्वरोजगार ऋण के लिए ऋण स्वीकृति के एक वर्ष के अपरान्त अथवा रोजगार प्रारंभ करने की तिथि से छः माह की अवधि, जो पहले हो, उस तिथि से ऋण की वापसी प्रारंभ की जायेगी। ऋण की वापसी भुगतान बराबर–बराबर मासिक किश्तों में पांच वर्षों की अवधि में देय होगी।

★ समय पर किस्त की राशि की वसूली नहीं होने अर्थात ऋणी द्वारा ऋण लेने के क्रम में दिये गये चेक का भुगतान बैंक से नहीं होने (चेक बाउन्स हो जाने पर) पर प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

★ विवाद का निस्तारण:- प्रमादी (डिफॉल्टर) ऋणियों के विरूद्ध एन. आई.एक्ट की धारा 138 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में मामला दायर किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का होना आवश्यक है :–

★ असैनिक शल्य चिकित्सक के अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा अभिप्रमाणित फोटो सहित विकलांगता प्रमाण–पत्र।

★ उम्र प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)।

★ अंचलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी द्वारा निर्गत वार्षिक आय प्रमाण–पत्र।

★ लाभार्थियों को निश्चित रूप से आवेदन–पत्र के साथ आवास से सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्र यथा पासपोर्ट, भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज या अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण–पत्र या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

★ शिक्षा ऋण आवेदन–पत्र के साथ विद्यार्थी को शिक्षण संस्थान से प्राप्त दाखिला प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही शिक्षण शुल्क, जीवन यापन खर्च एवं शिक्षण से सम्बन्धित अन्य खर्च विवरणी का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।

★ सरकारी गारंटर का सहमति पत्र तथा उनके विभाग से प्राप्त वेतन प्रमाण–पत्र या जमीन बंधक रखने के स्थिति में भूमि मूल्यांकन प्रमाण–पत्र एवं

ऋण–भार मुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अथवा,

★ कोलैटरल (Co-lateral) गारंटी के रूप में यथा एन.एस.सी. / फिक्स्ड डिपोजिट / बीमा पॉलिसी इत्यादि का छायाप्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

लाभार्थी के लिए सामान्य अनुदेश

★ अधूरे या अपूर्ण आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

★ लाभार्थी के चयन में पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

★ स्वरोजगार ऋण के लिये निगम द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र होगा, जिसे 10/– रूपये का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। परन्तु शिक्षा ऋण का आवेदन–पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

★ लाभार्थी को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था या लाभपूर्ण रूप से नियोजित नहीं होना चाहिए।

★ लाभार्थी किसी बैंक या सरकारी खजाने का बकायेदार नहीं हो।

★ ऋण सम्बन्धी एकरारनामा के समय लाभार्थी को किसी गारंटर (सरकारी या अर्द्ध–सरकारी सेवा) से हस्ताक्षरित गारंटी पत्र समर्पित करना होगा। अगर लाभार्थी द्वारा कोई गारंटर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो लाभार्थी को अपना सम्पत्ति बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पक्ष में बंधक रखना होगा। ऐसी सम्पत्ति सभी प्रकार ऋण भार से मुक्त होना चाहिए एवं प्राप्त ऋण से उस सम्पत्ति का मूल्य कम नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऋण के मामले में दो लाख रूपये से अधिक वेतन पाने वाले आयकर भुगतान करने वाले व्यक्ति ही गारंन्टर होंगे।

आवेदक को स्वरोजगार ऋण योजना के लाभ हेतु आवेदन–पत्र निगम के विहित प्रपत्र में सीधे ***सम्बन्धित जिला के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाहरणालय*** *के कार्यालय में देना होगा तथा शिक्षा ऋण के मामले में सीधे* ***प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, चौथी मंजिल, सोन भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना–800 001*** *नाम से देना होगा।*

प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की अध्यक्षता में शिक्षा ऋण के लाभार्थियों के चयन हेतु एक स्क्रीनिंग समिति गठित होगी, जिसमें सदस्य के रूप में निगम के वित्त परामर्शी, परियोजना पदाधिकारी, उप–सचिव, समाज कल्याण विभाग, उप–निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।

★★★★